कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी–नैनीताल।

–: कार्यालय आदेश :–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–17 (1)(ख) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्याः 385025 / XXX(2) / 2026 ई–20917 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 दिनांक 06 अप्रैल, 2026 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2026–27 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुचिकित्सा फार्मेसी अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम–4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा–17 (1)(ख)–अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती ममता आर्या, पशुचिकित्सा फार्मेसी अधिकारी,	पशु चिकित्सालय, बग्वालीपोखर जनपद–अल्मोडा	पशु चिकित्सालय, हवालबाग जनपद–अल्मोडा	अनुरोध के आधार पर

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

3. अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण भत्ता हेतु अर्ह नही होंगे।

ह0 / –
(डा0 रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

पत्रांक 821 **/ स्था0–01 / वा0स्थाना0–प0चि0फार्मे0अ0 / 2026–27, दिनांक** 30-06-2026

प्रतिलिपि–निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
2– पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, बग्वालीपोखर–अल्मोडा।
3– वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, हवालबाग–अल्मोडा।
4– मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, अल्मोडा।
5– मुख्य कोषाधिकारी, अल्मोडा।
6– निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा0 रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी–नैनीताल।

–: कार्यालय आदेश :–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–17 (1)(ख) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्याः 385025/XXX(2)/2026 ई–20917 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 दिनांक 06 अप्रैल, 2026 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2026–27 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुचिकित्सा फार्मेसी अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम–4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा–17 (1)(ख)–अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री कृष्ण चन्द्र जोशी, पशुचिकित्सा फार्मेसी अधिकारी,	पशु चिकित्सालय, हवालबाग जनपद–अल्मोडा	पशु चिकित्सालय, बग्वालीपोखर जनपद–अल्मोडा	अनुरोध के आधार पर

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

3. अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण भत्ता हेतु अर्ह नही होंगे।

ह0/–
(डा0 रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

पत्रांक 822 **/स्था0–01/वा0स्थाना0–प0चि0फार्मे0अ0/2026–27, दिनांक** 30-06-2026

प्रतिलिपि–निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
2– पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, बग्वालीपोखर–अल्मोडा।
3– वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, हवालबाग–अल्मोडा।
4– मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, अल्मोडा।
5– मुख्य कोषाधिकारी, अल्मोडा।
6– निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा0 रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी–नैनीताल।

–: कार्यालय आदेश :–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–17 (1)(ख) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्याः 385025/XXX(2)/2026 ई–20917 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 दिनांक 06 अप्रैल, 2026 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2026–27 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुचिकित्सा फार्मेसी अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम–4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा–17 (1)(ख)–अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती रश्मि पुरोहित पशुचिकित्सा फार्मेसी अधिकारी,	पशु चिकित्सालय, केलाखेडा जनपद–ऊधमसिंहनगर	पशु चिकित्सालय, बासोट जनपद–अल्मोडा	अनुरोध के आधार पर

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

3. अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण भत्ता हेतु अर्ह नही होंगे।

ह0/–
(डा0 रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

पत्रांक 823 **/स्था0–01/वा0स्थाना0–प0चि0फार्मे0अ0/2026–27, दिनांक** 30-06-2026

प्रतिलिपि–निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
2– पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, केलाखेडा–ऊधमसिंहनगर।
3– पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, बासोट–अल्मोडा।
4– मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, ऊधमसिंहनगर/अल्मोडा।
5– मुख्य कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर/अल्मोडा।
6– निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा0 रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी–नैनीताल।

–: कार्यालय आदेश :–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–17 (1)(ख) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्याः 385025 / XXX(2) / 2026 ई–20917 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 दिनांक 06 अप्रैल, 2026 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2026–27 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुचिकित्सा फार्मेसी अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम–4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा–17 (1)(ख)–अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री सूरज पाल सिंह पशुचिकित्सा फार्मेसी अधिकारी,	पशु चिकित्सालय, काशीपुर जनपद–ऊधमसिंहनगर	पशु चिकित्सालय, भतरौंजखान जनपद–अल्मोडा	अनुरोध के आधार पर

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

3. अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण भत्ता हेतु अर्ह नही होंगे।

ह0 / –
(डा0 रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

पत्रांक 824 **/ स्था0–01 / वा0स्थाना0–प0चि0फार्मे0अ0 / 2026–27, दिनांक** 30-06-2026

प्रतिलिपि–निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
2– पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, भतरौंजखान–अल्मोडा।
3– वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, काशीपुर–ऊधमसिंहनगर।
4– मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, ऊधमसिंहनगर / अल्मोडा।
5– मुख्य कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर / अल्मोडा।
6– निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा0 रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी–नैनीताल।

–: कार्यालय आदेश :–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–17 (1)(ख) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्याः 385025/XXX(2)/2026 ई–20917 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 दिनांक 06 अप्रैल, 2026 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2026–27 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुचिकित्सा फार्मेसी अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम–4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा–17 (1)(ख)–अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री संदीप वर्मा पशुचिकित्सा फार्मेसी अधिकारी,	पशु चिकित्सालय, खेत जनपद–पिथौरागढ़	पशु चिकित्सालय, बर्दाखान जनपद–चम्पावत	अनुरोध के आधार पर

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

3. अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण भत्ता हेतु अर्ह नही होंगे।

ह0/–
(डा0 रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

पत्रांक 825 **/स्था0–01/वा0स्थाना0–प0चि0फार्मे0अ0/2026–27,** **दिनांक** 30-06-2026

प्रतिलिपि–निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
2– पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, खेत–पिथौरागढ़।
3– पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, बर्दाखान–चम्पावत।
4– मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़/चम्पावत।
5– सम्बन्धित कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/चम्पावत।
6– निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा0 रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी–नैनीताल।

–: कार्यालय आदेश :–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–17 (1)(ग) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्याः 385025 / XXX(2) / 2026 ई–20917 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 दिनांक 06 अप्रैल, 2026 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2026–27 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुचिकित्सा फार्मेसी अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम–4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा–17 (1)(ग)–अनिवार्य स्थानान्तरण (दुर्गम से सुगम)

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती लक्ष्मी जोशी, पशुचिकित्सा फार्मेसी अधिकारी,	पशु चिकित्सालय, बासोट जनपद–अल्मोड़ा	पशु चिकित्सालय, केलाखेड़ा जनपद–ऊधमसिंहनगर	जनहित

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह0 / –
(डा0 रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

पत्रांक 826 **/ स्था0–01 / वा0स्थाना0–प0चि0फार्मे0अ0 / 2026–27, दिनांक** 30-06-2026

प्रतिलिपि–निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
2– पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, बासोट–अल्मोड़ा।
3– पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, केलाखेड़ा–ऊधमसिंहनगर।
4– मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, अल्मोड़ा / ऊधमसिंहनगर।
5– सम्बन्धित कोषाधिकारी, अल्मोड़ा / ऊधमसिंहनगर।
6– निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा0 रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी–नैनीताल।

–: कार्यालय आदेश :–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–17 (1)(ग) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्याः 385025/XXX(2)/2026 ई–20917 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 दिनांक 06 अप्रैल, 2026 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2026–27 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुचिकित्सा फार्मेसी अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम–4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा–17 (1)(ग)–अनिवार्य स्थानान्तरण (दुर्गम से सुगम)

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री अनिल कुमार सागर, पशुचिकित्सा फार्मेसी अधिकारी,	पशु चिकित्सालय, बर्दाखान जनपद–चम्पावत	पशु चिकित्सालय, काशीपुर जनपद–ऊधमसिंहनगर	जनहित

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह0/–
(डा0 रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

पत्रांक 827 **/स्था0–01/वा0स्थाना0–प0चि0फार्मे0अ0/2026–27, दिनांक** 30-06-2026

प्रतिलिपि–निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
2– पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, बर्दाखान–चम्पावत।
3– वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, काशीपुर जनपद–ऊधमसिंहनगर।
4– मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, चम्पावत/ऊधमसिंहनगर।
5– सम्बन्धित कोषाधिकारी, चम्पावत/ऊधमसिंहनगर।
6– निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा0 रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी–नैनीताल।

–: कार्यालय आदेश :–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–18 (3) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्याः 385025/XXX(2)/2026 ई–20917 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 दिनांक 06 अप्रैल, 2026 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2026–27 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुचिकित्सा फार्मेसी अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम–4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा–18 (3)–पारस्परिक स्थानान्तरण

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री जहीरउल हसन, पशुचिकित्सा फार्मेसी अधिकारी,	पशु चिकित्सालय, बैलपडाव जनपद–नैनीताल	पशु चिकित्सालय, छोई जनपद–नैनीताल	पारस्परिक स्थानान्तरण

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

3. पारस्परिक आधार पर किये गये स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण भत्ता हेतु अर्ह नही होंगे।

ह0/–
(डा0 रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

पत्रांक 822 **/स्था0–01/वा0पा0स्थाना0–प0चि0फार्मे0अ0/2026–27, दिनांक** 30-06-2026

प्रतिलिपि–निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
2– पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुचिकित्सालय, बैलपडाव, जनपद–नैनीताल।
3– पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुचिकित्सालय, छोई–नैनीताल।
4– मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, नैनीताल।
5– मुख्य कोषाधिकारी, नैनीताल।
6– निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा0 रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी–नैनीताल।

–: कार्यालय आदेश :–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–18 (3) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्याः 385025/XXX(2)/2026 ई–20917 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 दिनांक 06 अप्रैल, 2026 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2026–27 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुचिकित्सा फार्मेसी अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम–4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा–18 (3)–पारस्परिक स्थानान्तरण

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री आनन्द कुमार, पशुचिकित्सा फार्मेसी अधिकारी,	पशु चिकित्सालय, छोई जनपद–नैनीताल	पशु चिकित्सालय, बैलपडाव जनपद–नैनीताल	पारस्परिक स्थानान्तरण

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

3. पारस्परिक आधार पर किये गये स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण भत्ता हेतु अर्ह नही होंगे।

ह0/–
(डा0 रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

पत्रांक 829 **/स्था0–01/वा0पा0स्थाना0–प0चि0फार्मे0अ0/2026–27, दिनांक** 30-06-2026

प्रतिलिपि–निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
2– पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुचिकित्सालय, छोई, जनपद–नैनीताल।
3– पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुचिकित्सालय, बैलपडाव –नैनीताल।
4– मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, नैनीताल।
5– मुख्य कोषाधिकारी, नैनीताल।
6– निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा0 रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी–नैनीताल।

–: कार्यालय आदेश :–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–18 (3) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्याः 385025/XXX(2)/2026 ई–20917 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 दिनांक 06 अप्रैल, 2026 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2026–27 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुचिकित्सा फार्मेसी अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम–4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा–18 (3)–पारस्परिक स्थानान्तरण

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती कविता पन्त, पशुचिकित्सा फार्मेसी अधिकारी,	पशु चिकित्सालय, बेरीनाग जनपद–पिथौरागढ़	पशु चिकित्सालय, पॉखू जनपद–पिथौरागढ़	पारस्परिक स्थानान्तरण

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

3. पारस्परिक आधार पर किये गये स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण भत्ता हेतु अर्ह नही होंगे।

ह0/–
(डा0 रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

पत्रांक 830 **/स्था0–01/वा0पा0स्थाना0–प0चि0फार्मे0अ0/2026–27, दिनांक** 30-06-2026

प्रतिलिपि–निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
2– पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुचिकित्सालय, पॉखू–पिथौरागढ़।
3– वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुचिकित्सालय, बेरीनाग–पिथौरागढ़।
4– मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़।
5– मुख्य कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।
6– निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा0 रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी–नैनीताल।

–: कार्यालय आदेश :–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–18 (3) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्याः 385025/XXX(2)/2026 ई–20917 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 दिनांक 06 अप्रैल, 2026 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2026–27 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुचिकित्सा फार्मेसी अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम–4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा–18 (3)–पारस्परिक स्थानान्तरण

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री गिरधर सिंह बिष्ट, पशुचिकित्सा फार्मेसी अधिकारी,	पशु चिकित्सालय, पॉखू जनपद–पिथौरागढ़	पशु चिकित्सालय, बेरीनाग जनपद–पिथौरागढ़	पारस्परिक स्थानान्तरण

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

3. पारस्परिक आधार पर किये गये स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण भत्ता हेतु अर्ह नही होंगे।

ह0/–
(डा0 रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

पत्रांक 031 **/स्था0–01/वा0पा0स्थाना0–प0चि0फार्मे0अ0/2026–27, दिनांक** 30-06-2026

प्रतिलिपि–निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
2– पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सालय, पॉखू–पिथौरागढ़।
3– वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सालय, बेरीनाग–पिथौरागढ़।
4– मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़।
5– मुख्य कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।
6– निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा0 रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी–नैनीताल।

–: कार्यालय आदेश :–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–18 (3) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्याः 385025/XXX(2)/2026 ई–20917 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 दिनांक 06 अप्रैल, 2026 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2026–27 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुचिकित्सा फार्मेसी अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम–4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा–18 (3)–पारस्परिक स्थानान्तरण

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री हरीश चन्द्र पन्त, पशुचिकित्सा फार्मेसी अधिकारी,	पशु चिकित्सालय, रामगढ़ जनपद–नैनीताल	पशु चिकित्सालय, आदर्शनगर जनपद–ऊधमसिंहनगर	पारस्परिक स्थानान्तरण

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

3. पारस्परिक आधार पर किये गये स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण भत्ता हेतु अर्ह नही होंगे।

ह0/–
(डा0 रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

पत्रांक 832 **/स्था0–01/वा0पा0स्थाना0–प0चि0फार्मे0अ0/2026–27, दिनांक** 30-06-2026

प्रतिलिपि–निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
2– पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सालय, आदर्शनगर–ऊधमसिंहनगर।
3– वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सालय, रामगढ़–नैनीताल।
4– मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, नैनीताल/ऊधमसिंहनगर।
5– सम्बन्धित कोषाधिकारी, नैनीताल/ऊधमसिंहनगर।
6– निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा0 रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी–नैनीताल।

–: कार्यालय आदेश :–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–18 (3) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्याः 385025/XXX(2)/2026 ई–20917 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 दिनांक 06 अप्रैल, 2026 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2026–27 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुचिकित्सा फार्मेसी अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम–4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा–18 (3)–पारस्परिक स्थानान्तरण

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती नीता, पशुचिकित्सा फार्मेसी अधिकारी,	पशु चिकित्सालय, आदर्शनगर जनपद–ऊधमसिंहनगर	पशु चिकित्सालय, रामगढ़ जनपद–नैनीताल	पारस्परिक स्थानान्तरण

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

3. पारस्परिक आधार पर किये गये स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण भत्ता हेतु अर्ह नही होंगे।

ह0/–
(डा0 रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

पत्रांक 833 **/स्था0–01/वा0पा0स्थाना0–प0चि0फार्मे0अ0/2026–27, दिनांक** 30-06-2026

प्रतिलिपि–निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
2– पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सालय, आदर्शनगर–ऊधमसिंहनगर।
3– वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सालय, रामगढ़–नैनीताल।
4– मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, नैनीताल/ऊधमसिंहनगर।
5– सम्बन्धित कोषाधिकारी, नैनीताल/ऊधमसिंहनगर।
6– निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा0 रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।